उत्तर प्रदेश सरकार

गृह(पुलिस) अनुभाग-1

संख्याः 4021/छः-पु-1-08-115/2008

लखनऊः दिनांकः 02, दिसम्बर 2008

प्रथम संशोधन

संख्याः 352/छः-पु-01-09-115/2008

लखनऊः दिनांकः 20, मई 2009

द्वितीय संशोधन

संख्याः 100/6-पु-1-11-115/2011

लखनऊः दिनांकः 14, जनवरी 2011

तृतीय संशोधन

संख्याः1306/छः-पु-1-13-115/2008

लखनऊः दिनांकः09 अप्रैल, 2013

चतुर्थ संशोधन

संख्याः1591/छः-पु-1-13-115/2008

लखनऊ, 10 मई, 2013

पंचम संशोधन

संख्याः1756/छः-पु-1-13-115-2008

लखनऊ, 4 जून, 2013

षष्टम् संशोधन

संख्याः185/छः-पु-1-14-115-08

लखनऊ, 17 जनवरी, 2014

<u>अधिसूचना</u>

प्रकोण

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1861) को धारा 2 और धारा 46 को उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समथकारी शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2008 को संशोधित करने को दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते ह।

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2008

भाग-1 सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1	(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2008 कही जायेगी। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
सामान्य संशोधन	2	उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2008, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, म शब्द "नागरिक पुलिस" शीषक और पाश्व शीषक सहित, जहां कहों आए हो के स्थान पर शब्द "पुलिस" रख दिया जायेगा।

सेवा की प्रास्थिति	2	उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा एक सेवा है जिसम समूह "ग" के पद समाविष्ट है।
परिभाषाएं	3	जब तक विषय या संदर्भ म कोई प्रतिकूल बात न हो इस नियमावली म:-

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 से है।

(ख) नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य सेवा म आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी के लिए पुलिस अधीक्षक से है।

(ग) "बोर्ड" का तात्पर्य इस सम्बन्ध म समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार स्थापित उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती तथा पदोन्नति बोर्ड से है।

(घ) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये।

(ड) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है।

(च) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है।

(छ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

(ज) "विभागाध्यक्ष" का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश से है।

(झ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त आदेशों के अधीन सेवा के संवर्ग म किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है।

(ञ) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य अधिनियम की अनुसूची-एक म विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से ही है।

(ट) "पुलिस मुख्यालय' का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ या उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से है।

(ठ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा से है।

(ड) "चयन समिति" का तात्पर्य सेवा के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए बोर्ड द्वारा गठित चयन समिति से है।

(ढ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग-दो-संवर्ग

सेवा का संवर्ग	4	(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसम प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये।

पदों का नाम	पदों की संख्या		
	स्थायी	अस्थायी	योग
आरक्षी	71,239	12,863	84,102
मुख्य आरक्षी	10,356	6,637	16,995

परन्तु यह कि -

(एक) विभागाध्यक्ष कुल स्वीकृत नियतन के अन्तर्गत विभिन्न इकाईयों के पदों की संख्या को पुनर्निर्धारित कर सकता है।

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकते ह या राज्यपाल उसे प्रास्थगित रख सकते ह जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार

नहीं होगा।

(तीन) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थाई पदों का सृजन कर सकते ह जिन्ह वह उचित समझे।

भाग-तीन-भर्ती

भर्ती का स्रोत 5 सेवा म विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:-

1. आरक्षी- आरक्षी के शत प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा। सेवा काल म दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती भी उत्तर प्रदेश सेवाकाल म मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की नियमावली, 1974 के अनुसार की जायेगी।

2. मुख्य आरक्षी- मुख्य आरक्षी के शत-प्रतिशत रिक्तियों की भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए पात्र अभ्यर्थियों म ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा की जाएगी।

6 अनुसूचित जातियों-अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण अधिनियम और समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा। राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय खिलाडियों का आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार होगा।

परन्तु शारीरिक रूप से विकलांग पुलिस सेवाओं के लिए पात्र नही होंगे।

भाग-चार-अर्हताएं

राष्ट्रीयता 7 सेवा म किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:-

क. भारत का नागरिक हो या

ख. तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत म स्थाई निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो या

ग. भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत म स्थाई निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश केनिया, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जांजीबार) से प्रव्रजन किया हो,

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष म राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ल,

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा म इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी:- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले म पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी

		परीक्षा या साक्षात्कार म सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष म जारी कर दिया जाये।
शैक्षिक अर्हता	8	आरक्षी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को अर्हता भारत म विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए।
अधिमानी अर्हताएं	9	अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने:- (1) प्रादेशिक सेना म न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। (3) केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर अप्लीकेशन म प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो। टिप्पणी:- उक्तांकित अधिमानी अर्हता के कोई अंक नही होंगे, बल्कि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा म अन्तिम चयन सूची म नियम-15(च) (अब (छ) के अधीन वरीयता दी जायेगी।
आयु	10	आरक्षी के पद पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि पुरूष अभ्यर्थी की दशा म अभ्यर्थी ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो और महिला अभ्यर्थी की दशा म उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा म उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी अधिनियम म और भर्ती के समय लागू सरकारी आदेशों म विनिदिष्ट की जाय: परन्तु यह और कि ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्याःपीआरपीबी-दो-1(2)/2011, दिनांक 15 जुलाई-2011 के अनुसरण म पुलिस आरक्षी के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया हो परन्तु उक्त पद पर भर्ती नहीं की जा सकी, को अधिकतम आयु सीमा म शिथिलता प्रदान की जायेगी ताकि वे उक्त पद के लिए आगामी भर्ती म सम्मिलित होने के लिए पात्र हो सक।
चरित्र	11	सेवा म किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा म सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध म अपना समाधान कर लेग। **टिप्पणी-** संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा म किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।
वैवाहिक प्रास्थिति	12	सेवा म किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो,

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवतन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान ह।

शारीरिक स्वस्थता

13 किसी अभ्यर्थी को सेवा म किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कतव्यों का दक्षतापूवक पालन करने म बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूव उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोड के परीक्षण म सफल हो जाए।

टिप्पणी:- चिकित्सा बोड अभ्यर्थी की यथास्थिति ऊंचाई, उसके सीने और भार के माप के लिए विहित किसी शारीरिक मानक का परीक्षण करेगा और नाक-नी, बो लेग्स, फ्लैट फोट, वेरीकोस वस, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण परीक्षण, जिसम रिनेज परीक्षण, वेब्बस परीक्षण और वटिंगो परीक्षण, वाक दोष आदि समाविष्ट ह, जैसी कमियों, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाय, का भी परीक्षण करेगा।

भाग-पॉच-भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

14 नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना बोड को देगा। सीधी भर्ती के लिए रिक्तियॉ बोड द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिसूचना की जायेगी:-

(एक) व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्र म विज्ञापन जारी करके,

(दो) कायालय के सूचना पट्ट पर नोटिस चस्पा करके या रेडियो/ दूरदशन और अन्य रोजगार समाचार-पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा।

(तीन) रोजगार कायालय को रिक्तियॉ अधिसूचित करके।

(चार) जनसंचार के अन्य माध्यम से।

आरक्षियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15 **(क) आवेदन पत्र**

(एक) अभ्यर्थी केवल <u>एक जिले से</u> आवेदन पत्र भरेगा। परीक्षा केन्द्र के आवंटन के सम्बन्ध म अभ्यर्थी एक से अधिक विकल्प दे सकता है फिर भी बोड, अभ्यर्थी द्वारा इंगित केन्द्रों से भिन्न केन्द्र को आवंटन कर सकता है।

(दो) शैक्षिक अहता, आयु, प्रत्येक श्रेणी के परीक्षण, जिसके अन्तगत शारीरिक, लिखित, चिकित्सीय आदि परीक्षण भी ह, के लिए न्यूनतम अहक मानक, विषयवार लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम अहक अंक, अभ्यास के लिए ओ0एम0आर0 पत्रक की प्रति के सम्बन्ध म सूचना का विवरण एवं अन्य महत्वपूण दिशा-निदश जो समय-समय पर बोड द्वारा अवधारित किया जाय, बोड द्वारा उसकी वेबसाइट पर या किसी अन्य रीति से, जैसा वह आवश्यक समझे, उपलब्ध करायी जायेगी।

(तीन) आवेदन-पत्र के लिए आवेदक को पयाप्त समय देते हुए बोड द्वारा आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जायगे। अभ्यर्थी, आवेदन-पत्र की यथार्थता और पूणता के लिए व्यक्तिगत रूप से और अकेले ही उत्तरदायी होगा, यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अपूण, दोषपूण या अयथाथ सूचना से युक्त है, तो

आवेदन-पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

(चार) आवेदक, अपने समस्त प्रमाण-पत्रों और दस्तावेजों को स्वयं प्रमाणित करेगा और उनकी यथार्थता तथा शुद्धता के लिए उत्तरदायी होगा।

(पांच) आवेदन पत्र में पहचान विवरण यथा-विशिष्ट पहचान पत्र संख्या, अंगूठा एवं अंगुली निशान, फोटोग्राफ या बायो मैट्रिक्स भी समुचित रीति से इस प्रकार समाविष्ट होंगे जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये।

(छः) विभागाध्यक्ष किसी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क नियत कर सकता है।

(सात) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी किसी पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती सूचना में किसी अपूर्णता या अयथार्थता या परिवर्तन या असंगति के लिए बोर्ड को किसी आवेदक का अभ्यर्थन सरसरी तौर पर अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

(आठ) सरकार प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय किसी भर्ती के लिए रिक्तियों की संख्या परिवर्तित कर सकती है और किसी भर्ती को किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकती है।

(ख) बुलावा पत्र:-

परीक्षा के कम से कम दस दिन पूर्व अभ्यर्थियों को बुलावा-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(ग) प्रारम्भिक लिखित परीक्षा:-

ऐसे अभ्यर्थियों, जिनके आवेदन सही पाये जाते हैं, से अर्हकारी प्रकृति की वस्तुनिष्ठ प्रकार की एक प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। इस परीक्षा में 300 अंकों का एक प्रश्न-पत्र होगा जिसमें समुचित स्तर का सामान्य ज्ञान, सामयिक विषय, तार्किक क्षमता और आंकिक क्षमता के प्रश्न होंगे, जिसका पाठ्यक्रम बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जायेगा। जो अभ्यर्थी 35 प्रतिशत अंक पाने में विफल रहेगा वह भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा। प्रारम्भिक लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों में से, रिक्तियों की संख्या के दस गुने के बराबर संख्या में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पात्र होंगे।

(घ) शारीरिक दक्षता परीक्षा:-

पात्र अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जो 100 अंकों की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट-2 में विहित की गयी है।

(ङ.) मुख्य लिखित परीक्षा

शारीरिक दक्षता परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पात्र अभ्यर्थियों से मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी और जिसके लिए 300 सौ अंक होंगे। लिखित प्रश्न-पत्र में सामान्य जानकारी, मानसिक क्षमता, तर्कशक्ति और बोधगम्यता के प्रश्न होंगे। परीक्षा के लिए विस्तृत कार्यक्रम बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जायेगा। लिखित परीक्षा के संचालन की प्रक्रिया परिशिष्ट-3 में यथा उल्लिखित रूप से होगी। ऐसे अभ्यर्थी जो मुख्य लिखित परीक्षा में 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं, भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे।

(च) दस्तावेजों की संवीक्षा और चिकित्सा परीक्षा बोर्ड प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर और तत्समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों और अधिनियमन के उपबन्धों के अनुसार एक श्रेष्ठता सूची

तैयार करेगा।

उपयुक्त अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की संवीक्षा परिशिष्ट-4 के अनुसार की जायेगी। संवीक्षा के दौरान या संवीक्षा के पश्चात किसी भी समय किसी भी दस्तावेज को छलसाधित, गलत या कूटरचित पाये जाने की दशा में आवेदक का अभ्यर्थन बोर्ड और विभागाध्यक्ष के विवेक के अनुसार निरस्त कर दिया जायेगा। जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज ठीक पाये जाते हैं वे परिशिष्ट-5 के अनुसार चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होंगे।

टिप्पणीः-चिकित्सा बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों तथा उनकी कमियों यथा-नाक-नी, बो-लेग्स, फ्लैट-फोट, वेरीकोज वेन्स, दूर तथा निकट दृष्टि, कलर ब्लाइन्डनेस तथा रीनेज परीक्षण, वेब्बर्स परीक्षण को समाविष्ट करते हुए श्रवण शक्ति परीक्षण की जांच की जायेगी एवं अभ्यर्थियों का वर्टिगो, वाक् दोष आदि का परीक्षण, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय, किया जायेगा।

(छ) चयन तथा श्रेष्ठता सूचीः-

(एक) शारीरिक मानक परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा के पश्चात सफल पाये गये अभ्यर्थियों में से बोर्ड द्वारा एक ज्येष्ठता सूची तैयार की जायेगी।

टिप्पणीः-यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबरा-बराबर अंक प्राप्त करते हैं, तो श्रेष्ठता सूची का निश्चय निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगाः-

(एक) ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी जो अधिमानी अर्हता, यदि कोई हो, रखते हों। एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा।

(दो) उपरोक्त के होते हुए भी, यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों की श्रेणी समान हो तो मुख्य लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी।

(तीन) उपरोक्त के होते हुए भी, यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक बराबर-बराबर हों तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी।

(चार) यदि उपर्युक्त विचारों के बावजूद भी अंक बराबर-बराबर हों और जन्म दिनांक समान हो और मुख्य लिखित परीक्षा में भी अंक समान हो, तो ऐसे अभ्यर्थी को हाईस्कूल प्रमाण-पत्र में यथा उल्लिखित प्रथम नाम के अंग्रेजी के वर्णमाला के प्रथम अक्षर के क्रम में वरीयता प्रदान की जायेगी।

श्रेष्ठता सूची को वेबसाइट/ सूचना पट्ट पर प्रकाशित किया जायेगा।

(दो) बोर्ड आरक्षण नीति सम्बन्धी दिशा-निर्देशों और बोर्ड को अधिसूचित की गयी रिक्तियों की कुल संख्या को दृष्टिगत रखते हुए अभ्यर्थियों को उनकी श्रेष्ठता क्रम में एक चयन सूची तैयार करेगा जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चरित्र सत्यापन के अध्यधीन होगी। चयन सूची विभागाध्यक्ष को अग्रसारित की जायेगी जो उसे अनुमोदनोपरान्त अग्रेतर कार्यवाही हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

16 नियुक्ति पत्र जारी करने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के लिए अभ्यर्थियों के चरित्र पुष्टि पूर्ण किया जाना आवश्यक है। अभ्यर्थियों के चरित्र की पुष्टि/प्रशस्ति पत्र यथासम्भव एक महीने के अन्दर पूर्ण की जायेगी। नियुक्ति पत्र के जारी करने के पूर्व सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन चरित्र पुष्टि पूर्ण की जायेगी। चरित्र पुष्टि के दौरान चरित्र पुष्टि प्रतिकूल पाये जाने पर अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए योग्य नही होंगे। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में संलग्नक फार्मेट पर राजपत्रित

अधिकारी द्वारा प्रमाणित दो फोटो और दिये गये स्थान पर दाय और बाय अंगूठे का निशान लगाना पड़ेगा। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र म दिये गये सुसंगत स्थान पर पूण रूप से अपना स्थायी पता और पत्राचार पता के साथ तहसील, विकासखण्ड, ग्राम, डाकघर और पिनकोड को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना होगा।

मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया

17 मुख्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति, आरक्षी सिविल पुलिस के रूप म मौलिक रूप से भर्ती किये गये पात्र व्यक्तियों म से पदोन्नति द्वारा निम्नलिखित रीति म की जाती हैः-

(क) मुख्य आरक्षी के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 100 प्रतिशत पद, अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर बोड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त किये गये ऐसे आरक्षियों म से भरे जायगे जिन्होने भर्ती के वष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप म सात वष की सेवा पूरी कर ली हो।

(ख) वे आरक्षी जो बिना पारी पदोन्नत किये गये हों और मुख्य आरक्षी सिविल पुलिस के रूप म कायरत हों, भी अपनी मौलिक श्रेणी म अपनी ज्येष्ठता के अनुसार मुख्य आरक्षी सिविल पुलिस के पद पर पदोन्नति के लिये पात्र होंगे।

भाग-छः
प्रशिक्षण, नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

18 नियम-15 के खण्ड (छ) और नियम-16 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों के नामों को उसी क्रम म लेकर, जिसम वे नियम-15 के खण्ड (छ) के अधीन तैयार की गयी सूची म हों, नियुक्ति करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को इस निदश के साथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा कि वे पत्र के जारी किये जाने के दिनांक से या नियुक्ति पत्र म इस प्रयोजनाथ विनिदिष्ट किसी दिनांक से एक माह के भीतर सेवा/प्रशिक्षण के लिए उपस्थित होने के विषय म सूचित कर द, ऐसा न करने पर उनके चयन/ नियुक्ति को निरस्त कर दिया जायेगा:

परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रारम्भ के पूव से सेवा म किसी पद पर नियुक्त और कायरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किया गया समझा जायेगा।

प्रशिक्षण

19 परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी जैसा कि राज्य सरकार या विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाय।

परिवीक्षा

20 1. सेवा म किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

2. नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जाएंगे अलग-अलग मामलों म परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसम ऐसा दिनांक विनिदिष्ट किया जाएगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय। परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वष से अधिक और किसी भी परिस्थिति म दो वष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

3. यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त म नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने बढायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी के

संतोषानुसार पर्याप्त सुधार नही किया है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकारी न हो, तो उसकी सेवाय समाप्त की जा सकती है।

4. ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवाय समाप्त की जाय किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

5. नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग म सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप मे की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण 21

1. उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त म उसकी नियुक्ति म स्थायी कर दिया जायेगा, यदि--

(क) उसने सफलतापूर्वक विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो,

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाये,

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।

2. जहां उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां उस नियमावली के नियम- 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता 22

सेवा म किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार इस प्रतिबन्ध के साथ अवधारित की जायेगी, कि किसी पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति पश्चात्वर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति से ज्येष्ठ होगा।

वेतनमान 23

1. सेवा म विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाय।

2. इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नानुसार दिए गए है:-

पद का नाम	वेतनमान
आरक्षी	रू0 3050-75-3950-80-4590
[illegible]	रू0 3200-85-4900

[illegible] 24

(1) फन्डामेन्टल रूल्स म किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा म न हो, समयमान म उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उस[illegible], विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया हो और प्र[illegible], और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा [illegible]

[illegible] संतोषजनक परिवीक्षा अवधि म विफलता के कारण

परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय □□ □□ प्र□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □ी □□□□ वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश □ □□

(2) □□□व□□क्ति □□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□, □ि□□□क्षा □□□□ □ □□□, सुसंगत फण्डामटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा,

परन्तु यदि संतोषजनक परिवीक्षा अवधि म विफलता के कारण परिवीक्षा □□□□ □□□□ □□□ □□ □□ प्र□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □ी □□□□ □□□□□वृद्धि □□□□ □□ी □ी □□□□□ □□ □□ □□ □□□□क्ति प्र□□□□□□□ □न्□□□ □□□□□□ □ □

(3) किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति, □□ □□□□□□□□□□□ □□□ □ □□, □□□□□ □□ □□□□□□□□, राज्य के मामलों म सेवारत सामान्यतः सरकारी सेवकों हेतु लागू □□□□□ □□□□ी द्व□□ □□□□ □□□□□ □

□□□-□□□-अन्य उपबन्ध

□क्ष □□□□ 25 किसी पद पर या सेवा म लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्ही सिफारिशों पर चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से □□□□□ प्र□प्त □□□□□ □□ई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

□न्□ □□□□ी □□ □□□□□□□ 26 ऐसे विषयों के सम्बन्ध म जो विनिदिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा म नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों केसम्बन्ध म □□□□□ □□□□□□ □□□□ी □□ □□□न्□□□□ □□□□□□□ी, विनियमों और आदेशों द्व□□ □□□□□ □ी□□

□□□ □ी □□ी □ □□□□□□□ 27 □□□राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा म नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट □□□□□ □□न्□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ी □ □□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा □□ □□ □□□ □□ी □□□□□□ □□□□□□□□न्□ □□ □□□□□ न्□□□□□ □□ साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, □□□□क्त □□ □□□□□ □□ □□□□ □□

व□□□त्ति 28 इस नियमावली म किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों □□ □□ी □□□□, जिनका इस सम्बन्ध म सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये □□□□□□ी □□□□□□ □□□□□□ □□□□ी, अनुसूचित जनजातियों और अन्य □□□□श्रे□□□ी के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो □

□ज्ञा □□

(आर0एम0 श्रीवास्तव)

प्रमुख सचिव

परिशिष्ट-1

([illegible])

परिशिष्ट-2

सीधी भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण:-

1- शारीरिक दक्षता परीक्षण का संचालन एक दल द्वारा किया जाता है जिसम निम्नलिखित [illegible]-

(क) [illegible] स्ट्रे[illegible] द्वारा [illegible]-[illegible]ष्ट [illegible]

(ख) जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक चिकित्सा अधिकारी।

(ग) जनपद के वरिष्ठ पुलि[illegible] [illegible]क्ष[illegible]/ पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम-[illegible]ष्ट [illegible]क्ष[illegible]

(घ) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट नागरिक श्रेणी का अनुसूचित जाति का एक [illegible]

(ङ) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट नागरिक श्रेणी का अन्य पिछड़ा वर्ग का [illegible]

(च) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट अल्पसंख्यक श्रेणी का एक अधिकारी।

[illegible]क्ष[illegible] ज्ञ[illegible]

2- आरक्षी की सीधी भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण म पुरूष अभ्यर्थि[illegible] [illegible] 4.8 [illegible]0 [illegible] 30 मिनट के भीतर और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 [illegible]0 [illegible] 18 [illegible] पूर्ण करनी होगी। जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते ह, वे परीक्षा के अगले चरण म जाने के लिए अर्ह नहीं होंगे।

अंकों का आवंटन अभ्यर्थी द्व[illegible]-[illegible], [illegible] 100 [illegible] 60 अंक होंगे जो दौड़ म अर्हता प्राप्त करने वाले किसी अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये जा सकते ह। अंकों का विभाजन निम्नवत् है।

(क) पुरूषों के लिए 4.8 [illegible] (([illegible])

मिनट (') और सेकण्ड ('') म समय सीमा	
समय सीमा	**अंक**
20 [illegible]	100
20 [illegible] 01 [illegible]ण्[illegible] 25 [illegible]	80
25 [illegible] 01 [illegible]ण्[illegible] 30 [illegible]	60

टिप्पणी:- [illegible] सेकण्ड तक की जायेगी।

(ख) [illegible] 2.4 [illegible] ([illegible])

मिनट (') और सेकण्ड ('') म समय सीमा	
समय सीमा	**अंक**
14 [illegible]	100
14 [illegible] 01 [illegible]ण्[illegible] 16 [illegible]	80
16 [illegible] 01 [illegible]ण्[illegible] 18 [illegible]	60

टिप्पणी:-[illegible]

3- [illegible] द्व[illegible] प्र[illegible] [illegible]0[illegible]0[illegible]0[illegible]0 [illegible] सहित मानकीकृत इलेक्ट्रानिक टाइमिंग उपकरण और पर्याप्त बैक[illegible] ट्रेक[illegible] प्र[illegible] [illegible]रदर्शिता सुनिश्चित करने एवं वेषपरिवर्तन से बचने के लिए किया जायेगा।

4- [illegible] प्रक्रि[illegible]-

([illegible]) बोर्ड द्वारा प्रतिदिन परीक्षण कराये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का अवधारण किया जायेगा और उनका विनिश्चय परीक्षण कराये जाने वालों की कुल संख्या एवं विद्यमान दशाओं पर आधारित होगा।

([illegible]) [illegible] प्रत्येक परीक्षण हेतु भिन्न-भिन्न समय और न्यूनतम शारीरिक मानकों के लिए अंकों की सारिणी परीक्षण स्थल पर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी।

([illegible]) इस परीक्षण का परिणाम परीक्षण स्थल पर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा और यदि सम्भव हुआ तो यथाशीघ्र बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

([illegible]) [illegible], जिसमे परीक्षण अभिकरण यदि कोई हो, [illegible] जानबूझकर ऐसा कार्य करते है जो गलत हो या किसी ऐसे कार्य को नहीं करते है जिससे किसी अभ्यर्थी को [illegible], तो वे दण्डिक कार्यवाही/ [illegible]

([illegible].) शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम अभ्यर्थी को उसी दिन उपलब्ध कराया जायेगा। सफल अभ्यर्थियों की सूची टीम के सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जायेगी।

([illegible]) [illegible]क्ष परीक्षण इस प्रकार किये जायगे कि परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके और उन्हे बिना किसी हस्तगत मध्यक्षेप के यांत्रिक रूप से अभिलिखित किया जा सके। शारीरिक मानक परीक्षण के लिए अधिमानतः भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जायेगा।

([illegible]) अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे दिये गये दिनां[illegible] कारणों से जो उनके नियंत्रण के परे हों और जो लिखित रूप मे अभिलिखित किये जायगे, [illegible] समय पर परीक्षण किये जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु परीक्षण के दिनांक एवं समय मे बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी नियत दिनांक पर परीक्षा मे सम्मिलित होने मे विफल रहता है तो उसे परीक्षा मे असफल माना जायेगा। परीक्षा मे सम्मिलित न होने के कारण अथवा विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा और स्वास्थ्य के [illegible], पुनः परीक्षण के लिए कोई अपील नहीं की [illegible]

टिप्पणीः- समस्त वीडियो अभिलेखों मे व्यक्तिगत गोपनीयता का सम्मान रखा जायेगा और अभिलेख को सुरक्षित अभिरक्षा मे रखा जायेगा तथा किसी न्यायालय को उसके समन किये जाने पर या [illegible] अधिकारी को बोर्ड की अनुमति से उपलब्ध कराया जायेगा।

परिशिष्ट-3

लिखित परीक्षा के लिए प्रक्रिया:-

([illegible]) लिखित परीक्षा म अभ्यर्थी स्वयं के हस्तलेख म लिखगे। किसी भी मुंशी (स[illegible]) [illegible]

([illegible]) यह स्पष्ट रूप से इंगित किया जायेगा कि लिखित परीक्षाएं वर्णनात्मक प्रकार की होंगी या वस्तुनिष्ठ बहविकल्पी प्रकार की होंगी।

([illegible]) लिखित परीक्षा के पश्चात उत्तर पुस्तिकाय, जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा उपलब्ध करायी गयी [illegible] क्ष[illegible] क्ष[illegible] से मुहरबंद लिफाफे म बोर्ड को केन्द्रवार भेजी जायगी।

([illegible]) वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाओं के लिए, अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये समस्त प्रश्नों के उत्तर बोर्ड के वेबसाइट पर उत्तरमाला के साथ अपलोड किये जायगे।

([illegible].) अभ्यर्थियों को दिये गये प्रश्न-[illegible]त्र [illegible] प्र[illegible] प्रश्न [illegible] क्र[illegible] ष्ट प्रश्न [illegible]त्त[illegible] क्रमानुसार न हों। प्रत्येक प्रश्न-पत्र पर एक विशिष्ट पहचान संख्या या क्रम अंकित होगा और अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जायेगी कि वे बोर्ड द्वारा निर्गत किये गये निदशों के अनुसार, [illegible] प्र[illegible], उत्तर पुस्तिका पर अभिलिखित कर। जब अभिलिखित करने के लिए अनुदेशित किया गया हो और अभ्यर्थी उसे अभिलिखित करने म असफल रहे हों, तो उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को कोई अंक प्राप्त नहीं होगा।

([illegible]) [illegible]द्यपि समस्त प्रश्नों और उत्तरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी सावधानियां बरती जायगी, [illegible] प्रश्न-पत्रों म किसी प्रश्न के गलत होने की दशा म या बोर्ड की राय म उत्तर का चुनाव अनन्य न होने या लिखित रूप म अभिलिखित किये गये किसी अन्य कारणों से बोर्ड किसी प्रश्न को निरस्त कर सकता है। फिर भी किसी कारण से किसी प्रश्न के निरस्त किये जाने की दशा म, प्रश्न [illegible] आवंटित अंकों को और अभ्यर्थी द्वारा शेष प्रश्नों म प्राप्त किये गये अंकों के अनुपात म समायोजित कर लिया [illegible]

([illegible]) [illegible]क्ष[illegible]स[illegible]-विवरण विनिर्दिष्ट करेगा। यद्यपि पाठ्य-[illegible]त[illegible] प्रकृति का होगा और परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद पाठ्यक्रम द्वारा अनाच्छादित प्रश्नों से सम्बन्धित मामलों पर कोई अपील या आपत्तियां नहीं की जा [illegible]

([illegible]) [illegible] प्रश्न-पत्र को खण्डों म विभक्त कर सकता है और दो या दो से अधिक विषयों को और दो [illegible] प्रश्न-पत्रों को क्रमानुसार एक प्रश्न-[illegible]त्र [illegible]त्त[illegible]

([illegible]) बोर्ड किसी परीक्षा के लिए एक न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नियत कर सकता है और जब तक अन्यथा [illegible] हो जाय तब तक वह अग्रतर ऐसे अभ्यर्थियों की परीक्षा नहीं ले सकता है जो पूर्ववर्ती चरण म [illegible]

([illegible]) अभ्यर्थी द्वारा उसके किसी उत्तर पुस्तिका पर किये गये किसी हस्ताक्षर, [illegible] असंगत चिन्ह सिवाय अभ्यर्थी को दिये गये निदश के अनुसा[illegible], के परिणामस्वरूप अभ्यर्थी का बोर्ड के विवेकानुसार अभ्यर्थन अनर्ह हो सकता है।

परिशिष्ट-4

दस्तावेजों की संवीक्षा:-

1- ऐसे अभ्यर्थी जो इस नियमावली के अधीन विहित परीक्षा म सफल हो गये हो उन्ह पात्रता, [illegible], [illegible] [illegible]म्बन्ध म सुसंगत दस्तावेजों के साथ चिकित्सीय परीक्षा समिति के समक्ष उनके दस्तावेजों की संवीक्षा के लिए बुलाया जायेगा, जिसम निम्नलिखित होगे:-

([illegible]) जिला मजिस्ट्रेट या कोई ऐसा अधिकारी जो परगना मजिस्ट्रेट रैंक से नीचे का न हो, [illegible]

([illegible]) [illegible] मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निदिष्ट कोई डिप्टी-[illegible]

([illegible]) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निदिष्ट कोई उप पुलिस [illegible]

([illegible]) [illegible]

([illegible].) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निदिष्ट अनुसूचित जाति श्रेणी से [illegible]

([illegible]) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निदिष्ट नागरिक श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्गों से [illegible]

([illegible]) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निदिष्ट अल्पसंख्यक श्रेणी से सम्बन्धित एक [illegible]

(2) [illegible], [illegible], [illegible]नी अर्हता आदि से सम्बन्धित समस्त सुसंगत दस्तावेजों को मूल रूप म जांच उसी दिन की जायेगी जिस दिन अभ्यर्थी को चिकित्सीय परीक्षण हेतु बुलाया गया हो।

(3) [illegible]

परिशिष्ट-5

अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण एवं उनकी चिकित्सा परीक्षा की प्रक्रिया

1- चिकित्सीय परीक्षा परिषद

विहित लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा में अर्ह पाये गये और छांटे गये अभ्यर्थियों और ऐसे अभ्यर्थी जिनके दस्तावेज परिशिष्ट-4 द्वारा संवीक्षा के पश्चा[illegible] [illegible], [illegible]

2- शारीरिक मानक परीक्षण

चिकित्सीय परीक्षण में नीचे बिन्दु तीन द्वारा विहित पैरामीटर के अतिरिक्त शारीरिक [illegible], जिसमें यथास्थिति महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों की ऊंचाई, [illegible]

(1) पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत् है:-

(क) ऊंचाई की माप:

([illegible]) [illegible]/ अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए 168 [illegible]

([illegible]) आदिवासी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 [illegible]

(ख) सीने की माप:

[illegible]/ अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों के सम्बन्धित अभ्यर्थियों [illegible] 79 [illegible] 84 सेन्टीमीटर फुलाने पर एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 [illegible] 82 [illegible]

नोट:- [illegible] 5 सेन्टीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है।

(2) [illegible]

(क) ऊंचाई की माप:

(एक) [illegible]/ अन्य पिछड़े तथा अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए [illegible] 152 [illegible]

(दो) अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 [illegible]

(ख) वजन की माप:-

[illegible] 40 [illegible]

(3) प्रत्येक परीक्षण हेतु न्यूनतम शारीरिक मानक अर्हता को स्टेडियम/[illegible], जहां कहीं भी परीक्षण का आयोजन परीक्षा आयोजित होने से पूर्व [illegible], बोर्ड पर अत्यन्त प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।

3- चिकित्सा मैनुअल के अनुसार चिकित्सकों द्वारा परीक्षण

टिप्पणी:- (1) शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिए केवल भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले या निदेशक बांट माप द्वारा सम्यक रूप से प्रमा[illegible] [illegible]

(2) चिकित्सा परिषद में अल्पसंख्यक अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति में [illegible], चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श से विभागाध्यक्ष द्वारा विहित और कोड किये गये "[illegible] प्र[illegible]" के अनुसार अभ्यर्थियों की परीक्षा करेगा। यह प्रपत्र बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा और चिकित्सा परीक्षा के स्थान पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

(क) चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों को परीक्षा चिकित्सा मैनुअल, [illegible], [illegible] [illegible]।

(ख) चिकित्सा परीक्षा का परिणाम परिसर के बाहर सूचना पट्ट पर दिन की समाप्ति [illegible] प्र[illegible]।

(ग) बोर्ड चिकित्सा परीक्षण को रिमोट सरवर पर सीधे [illegible] करने की प्रणाली निकालने और उसे संस्थित करने का प्रयास करेगा जिसमें लेखा परीक्षा किये जाने योग्य परिवर्तन अनुचिन्ह होंगे और प्रत्येक परिवर्तन पर टाइम स्टाम्प अंकित होगा। किसी अभिलेख को अन्तिम रूप से प्रस्तुत किये जाने के पश्चात उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं हो[illegible]।

(घ) कोई अभ्यर्थी जो अपनी चिकित्सा परीक्षा से असंतुष्ट हो, [illegible] ही अपील फाइल कर सकता है। चिकित्सा परीक्षा के सम्बन्ध में किसी अपील पर [illegible], [illegible] परिणाम की घोषणा के दिन अपील करने में [illegible] प्र[illegible] [illegible]।

(ड.) चिकित्सा बोर्ड के ऐसे सदस्य जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुए पाये [illegible], दांडिक कार्यवाही के भागी होंगे।

(च) [illegible]कित्सा परीक्षा केवल अहंकारी प्रकृति की होती है और योग्यता सूची पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

परिशिष्ट-6

विभागीय आधार पर मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति को प्रक्रिया

([illegible])

[illegible]ख्[illegible] 4021/[illegible]-[illegible]0-1-08-[illegible]द्दे[illegible]

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. [illegible], [illegible]द्र[illegible] [illegible] [illegible]ग्र[illegible], ऐशबाग लखनऊ को नियमावली को अंग्रेजी अनुवाद को प्रति [illegible] ग्र[illegible] [illegible] [illegible]यी परिशिष्ट भाग-4 [illegible]ण्[illegible] ([illegible]) परिनियत आदेश के अन्तर्गत सरकारी गजट मे प्रकाशित कराकर इसको 500 प्र[illegible] ([illegible]) [illegible]-1 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. [illegible] [illegible] [illegible]0प्र0 [illegible]
3. [illegible] [illegible]क्ष[illegible] (स्[illegible]) [illegible]0प्र0 [illegible]
4. [illegible] [illegible] [illegible]क्ष[illegible] (स्[illegible]) [illegible] [illegible]ख्[illegible] [illegible]0प्र0, [illegible]
5. [illegible] [illegible] 1/2
6. [illegible] [illegible]-1
7. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक/[illegible] [illegible] [illegible]क्ष[illegible]
8. [illegible] [illegible]स्[illegible] [illegible]

[illegible]ज्ञा [illegible]

([illegible] [illegible] [illegible]ण्[illegible])

[illegible]